कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः–876/11–सी–FP/UP/OTHERS/26434/2017, लखनऊः दिनांकः सितम्बर 26 2017

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक
सा0वा0 प्रभाग,
हरदोई।

विषयः– जनपद–हरदोई में शाहजहांपुर–हरदोई–लखनऊ राजमार्ग संख्या 25 किमी0 177–178 के मध्य बांयी पटरी पर ग्राम बल्लीपुर परगना बंगर तहसील हरदोई में भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 द्वारा पेट्रोल पम्प के पहुॅच मार्ग के लिए 0.075051 हे0 संरक्षित वन भूमि पर बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी कार्य के लिए अनुमति प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के कार्यालय का पत्रांक–1868/14–10–4, दिनांक–15.09.2017

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त विषयगत प्रस्ताव का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव में निम्नलिखित कमियॉ/अभिलेखों का आभाव पाया गयाः–

1. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल 1:50000 का रंगीन मानचित्र संलग्न है, किन्तु प्रभागीय निदेशक के हस्ताक्षर नहीं है।
2. प्रस्तावित वनभूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य जमा किये जाने की वचनबद्धता संलग्न है, किन्तु प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
3. वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न है, किन्तु मूल में संलग्न नहीं है तथा जिलाधिकारी की मुहर भी अंकित नहीं है।
4. मलवा उत्सर्जन सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु उसमें यह उल्लेख नहीं है कि मलवा उत्सर्जन होगा अथवा नहीं?
5. मलवा उत्सर्जन की दशा में, गैर वनभूमि पर किये जाने वाले मलवा निस्तारण के लिए भूमि स्वामित्व का सहमति पत्र संलग्न करें।
6. संशोधित ऑनलाइन पार्ट–1 प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है। अतः पूर्व का पार्ट–1 पृथक कर नया ऑनलाइन पार्ट–1 संलग्न करें।
7. ऑनलाइन भाग–2 क्रमांक–7 मे त्रुटि पूर्ण डाटा फिड किया गया है। अतः शून्य फीड करें।
8. ऑनलाइन भाग–2 व हार्ड कापी भाग–2 में हरियाली घनत्व 0.38 अंकित किया गया है। जो उचित प्रतीत नहीं होता है।

कृपया किसी कार्यदिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव प्राप्त कराकर, इंगित कमियों के निराकरण के पश्चात् पूर्ण प्रस्ताव इस कार्यालय को 02 प्रतियों में उपलब्ध करायें, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 876 /11–सी–FP/UP/OTHERS/26434/2017,दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
2. टेरीटरी मैनेजर (रिटेल), भारत पेट्रोलियम कार्पो0 लि0, बरेली।

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-1392